

## जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी संयंत्र: कर्सेंदा नाला इमलिया, जबलपुर (म.प्र.) 482004 .

कस्टुमर केयर नम्बर 9406900500

ई मेल:- [jdssanchi@gmail.com](mailto:jdssanchi@gmail.com)

GST : 23 AAAAJ0485D1Z6

(An ISO9001:2015 & 22000:2005 प्रमाणित संस्था)

Pan : AAAAJ0485D

क. 499 /जेएसडीएस/विप.-37/20 20 जबलपुर


दिनांक 26/12/2020

प्रति,

✓ सहायक महाप्रबंधक (एम एण्ड पी),  
एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड,  
दुग्ध भवन, दुग्ध मार्ग, हबीबगंज,  
भोपाल (म.प्र.)

विषय: दो निविदा प्रपत्रों को एम.पी.सी.डी.एफ. की वेबसाईट पर अपलोड करने बावत्।

विषयांतर्गत लेख है कि जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर द्वारा रीवा एवं नरसिंहपुर दूध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक सह परिवहनकर्ता नियुक्ति के लिये दिनांक 24.12.2020 को निविदाएं समाचार पत्र में प्रकाशित की गई है। जिसके निविदा प्रपत्र वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं। कृपया उक्त निविदा प्रपत्रों को एमपीसीडीएफ की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।


  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

रीवा शहर के विभिन्न मार्गों-रीवा मार्ग क. 02, मार्ग क. 04,  
सीधी शहर एवं मैहर शहर स्थानीय (दूध वितरक सह-परिवहनकर्ता)  
एवं रीवा-सीधी, रीवा-मैहर (दुग्ध परिवहनकर्ता) कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

पंचम निविदा आमंत्रण

वर्ष 2020-2023



जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर  
डेयरी संयंत्र: करौंदा नाला, इमलिया, अधारताल, जबलपुर  
टोल फी नंबर-9406900500

**E-mail :** jdssanchi@gmail.com

jabalpur.sanchi@gmail.com

**जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर**  
**डेरी प्लांट करौंदा नाला, इमलिया जबलपुर**

**साँची दूध वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रपत्र**

1.	निविदा प्रपत्र ऑफ लाईन माध्यम से क्रय एवं जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 11.01.2021 दोपहर 1.00 बजे
2.	तकनीकी अर्हताएँ परीक्षण दिनोंक एवं समय स्थान	दिनांक 11.01.2021 दोपहर 2.00 बजे जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ संयंत्र, जबलपुर
3.	निविदा के साथ जमा की जाने वाली ई.एम.डी. राशि।	रु. 20000/- (बीस हजार मात्र) प्रति मार्ग के मान से डी.डी./बैंक ड्राफ्ट ऑफलाईन भुगतान के माध्यम से जमा।
4.	वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य हेतु “तकनीकी अर्हताएँ” का प्रारूप।	परिशिष्ट क. 01
5.	वितरक सह परिवहनकर्ता की आवश्यक सामान्य शर्तें	परिशिष्ट क. 02
6.	भाव पत्र/दरें प्रस्तुत करने हेतु	परिशिष्ट क. 03
7.	वितरक सह परिवहनकर्ता का परिचय	परिशिष्ट क. 04
8.	अनुबंध प्रारूप	परिशिष्ट क. 07
9.	मार्ग संबंधी जानकारी	परिशिष्ट क. 08

**निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :-**

- प्रपत्र 01- “तकनीकी अर्हताएँ” का तथा प्रपत्र 02 “निविदा की शर्तें” एवं प्रपत्र क. 04 यथा वांछित दस्तावेजों का अध्ययन कर ऑफलाईन के माध्यम से प्रपत्र भरकर प्रस्तुत किये जावे।
- प्रपत्र क. 03- “भाव पत्र/दरें” ऑफलाईन (भौतिक रूप से) के माध्यम से प्रस्तुत की जावे।
- निविदा में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- निविदाकार जिस मार्ग हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं, ऑफलाईन के माध्यम से निविदा प्रपत्र संपूर्ण जानकारी स्पष्ट रूप से भरी जावे।

**टिप्पणी :-**

1. निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेगी ।

**2. निविदा कार्य अवधि:-**

निविदाएं निर्धारित कार्य अवधि वर्ष 2020-2023 (तीन वर्ष) के लिए आमंत्रित है। तीन वर्ष उपरांत कार्य संतोषजनक होने की दशा में एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तीन वर्ष के कार्यकाल की गणना कार्य आवंटन आदेश की तिथि से मान्य की जावेगी।

**3. न्यूनतम अर्हताएँ एवं अनिवार्य दस्तावेज विवरण**

स.क्र.	विवरण	स.क्र.	विवरण
	टेक्निकल बिड में सफल होने के लिए निविदाकार को निम्न अर्हताएँ अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगी।		अर्हता की पूर्ति हेतु साक्ष्य के रूप में निम्न सभी अनिवार्य दस्तावेज टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होंगे, अन्यथा टेक्निकल बिड निरस्त की जायेगी।
	<b>अनिवार्य अर्हताएँ-</b>		<b>अनिवार्य दस्तावेज</b>
4.1	अपना परिचय व विवरण उदघोषित करना होगा। स्वामित्व/फर्म/भागीदारी/कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।	4.1.	निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण हेतु इस दस्तावेज के परिशिष्ट क्र. 04 को पूर्णतः भर कर प्रस्तुत करें। फर्म/कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/मुखतारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी/प्रोपराईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है।
4.2	निविदाकार स्वामित्व (प्रोपराईटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत) /भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।	4.4	निविदाकार स्वामित्व (प्रोपराईटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीयन होना चाहिये। भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीयन एवं म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिये जिसके प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न करें।
4.3	तकनीकी बिड के साथ निर्धारित ई.एम. डी. राशि की डी.डी./बैंक ड्राफ्ट भुगतान भौतिक रूप से जमा की पावती लगाना अनिवार्य है।	4.5	तकनीकी बिड के साथ रु. 20000/- की ई.एम.डी. राशि जमा हों।
4.4	आयकर विभाग से आयकर के स्थायी खाताधारक हो।	4.6	आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN) एवं उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4.5	वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की आयकर विवरणी आयकर विभाग में जमा हो।	4.7	आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की आयकर विवरणी की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

6. निविदा दस्तावेज कयहेतु –

निविदा प्रपत्र (टेंडर डाक्युमेन्ट) वेबसाइट [http:// www.mpcdf.gov.in](http://www.mpcdf.gov.in) से डाउनलोड कर निविदा दस्तावेज के कय मूल्य की राशि रू. 500/- (रू. पाँच रुपये मात्र) का भुगतान डी.डी. या बैंक ड्राफ्ट माध्यम से जमा की जा सकती है।

निविदा फार्म पर हस्ताक्षर :

स्वामित्व/फर्म/कंपनी के अधिकृत निविदाकार प्राधिकारी ही निविदा फार्म पर अधिकृत हस्ताक्षर करें, वे हैसियत का वैध प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण के अभाव में तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी।

क्रं.	निविदाकार का स्वरूप	निविदा कौन भर सकेगा (निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति अधिकृत हस्ताक्षर से ही निविदा प्रस्तुत कर सकेगा)
1	एकल स्वामित्व	स्वामी स्वयं या उसका मुखतारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
2	भागीदारी फर्म	सभी भागीदार या उनका मुखतारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
3	कंपनी	कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति (कंपनी के अर्न्तनियमों की प्रति भी प्रस्तुत करना होगी)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.  
जबलपुर

जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत .....(मार्ग नाम) से साँची दूध एवं दूध पदार्थों के विक्रय हेतु वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य हेतु दिनांक..... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। मैं/ हम .....(मार्ग नाम से .....मार्ग हेतु यह निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि मेरी निविदा नियमानुसार स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा ईएमडी राशि रु. 20000/- (रुपये बीस हजार मात्र) प्रति मार्ग के मान से भुगतान की पावती क्रमांक .....संलग्न कर रहा हूँ।

तकनीकी अर्हताएं

क्र.	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज
1.	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाणपत्र
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड
3.	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था/फर्म के संचालक मण्डल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र
4.	निविदाकर्ता का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5.	उपलब्ध वाहन का प्रकार : मॉडल, क्षमता तथा पंजीयन क्रमांक स्वयं का/संस्था के नाम पर पंजीकृत होना आवश्यक है।		उपलब्ध वाहन के समस्त दस्तावेज की प्रति लगायें। नया वाहन खरीदने की दशा में रु.100/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करें।
6.	एफ.एस.एस.ए.आई. लायसेंस एवं जीएसटी नं. की प्रति संलग्न करे।		लायसेंस/जीएसटी नं. की छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करे। (नवीन व्यवसाय की स्थिति में FSSAI/GST के आवेदन की प्रति संलग्न करें।
7.	ई.एम.डी. राशि का विवरण		ईएमडी राशि रु. 20000/- (बीस हजार रुपये) की जमा की पावती संलग्न करें।
8.	दुग्ध संघ द्वारा किसी भी कार्य हेतु ब्लेक लिस्ट न किये जाने के संबंध में शपथ पत्र लगाना अनिवार्य है।		ब्लेक लिस्ट न किये जाने के संबंध में परिशिष्ट क्र. 05 नोटराईज्ड शपथ पत्र संलग्न करें।

9	दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है के संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।		दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है परिशिष्ट क्र. 05 नोटराईज्ड शपथ पत्र संलग्न करें।
10	वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 का आयकर जमा विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।		आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की आयकर विवरणी एवं बैलेन्स शीट (समस्त अनुसंलग्नों के साथ) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
11	दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या अन्य एफएमसीजी व्यवसाय का अनुभव होना अनिवार्य है।		निविदाकार स्वयं के लेटर हेड पर स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें।
12	बैंक खाता क्रमोंक		बैंक स्टेट मेंट की पिछले एक वर्ष की छायाप्रति लगावें।

नोट :- (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
नाम : \_\_\_\_\_  
पता : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

टेलीफोन नं. \_\_\_\_\_  
मोबाईल नं \_\_\_\_\_

## साँची दूध वितरक सह-परिवहनकर्ता हेतु

### निविदा की आवश्यक शर्तें :-

- (1) निविदाकार को निविदा पत्र के साथ स्वयं का पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
- (2) यदि निविदाकार एक से अधिक मार्गों हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं तो प्रत्येक मार्ग हेतु ई.एम.डी राशि रु. 20000/- प्रति मार्ग के मान से भुगतान कर पावती प्रस्तुत करना होगी। प्रत्येक निविदाकार को अधिकतम दो मार्गों हेतु ही निविदा भरने की पात्रता होगी। वर्तमान में कार्य कर रहे दूध वितरक सह-परिवहनकर्ता को समान दर होने पर प्राथमिकता दी जायेगी।
- (3) निविदाकार के पास स्वयं का इन्स्युलेटेड वाहन.....(वाहन का प्रकार) या समकक्ष वाहन मॉडल वर्ष 2018 या उसके बाद के पंजीकृत वाहन होना अनिवार्य है, साथ ही संलग्न किये जा रहे वाहन में निविदाकार के पास निविदा प्रस्तुत करते समय इंसुलेटेड वाहन उपलब्ध नहीं है तो निविदा स्वीकार होने की दिनांक से एक माह की अवधि में इन्स्युलेटेड बॉडी बनवाकर (थर्मोकॉल हैवी डेन्सिटी 2 इंच \*या पफ इन्सूलेशन 2 इंच) व वाहन में दुग्ध संघ द्वारा प्रदाय की गई डिजाईन अनुसार वाहन के दोनों तरफ व पीछे विनाइल पेस्टिंग स्वयं के व्यय से कराकर वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, इस हेतु रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड शपथ पत्र निविदा के साथ परिशिष्ट क्र. 06 अनुसार प्रस्तुत करें। अन्यथा निविदा निरस्त कर ई.एम.डी. राजसात कर ली जावेगी। वाहन संबंधी समस्त अनिवार्य दस्तावेज इस कार्यालय में जमा करना होगा।
- (4) निविदाकार को निविदा के साथ रु. 20000/- (रु. बीस हजार रुपये) ई.एम.डी. के रूप में डी.डी. या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। ई.एम.डी जमा न करने की स्थिति में निविदाकार की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
- (5) निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार द्वारा चाही गई प्रतिभूति राशि समय अवधि में जमा कराना अनिवार्य होगा जिसकी विवरण सारणी निम्न है :-

क्र.	मार्ग का विवरण	औसत विक्रय मात्रा ली. /दिन (लक्ष्य)	प्रतिभूति राशि रूपये (पाँच दिवस के विक्रय के बराबर)
अ.	जबलपुर दुग्ध संघ के अन्तर्गत रीवा संयंत्र दुग्ध वितरण-		
	1. रीवा शहर जोन 02 (वितरक सह परिवहनकर्ता)	800	200000
	2. रीवा शहर जोन 04 (वितरक सह परिवहनकर्ता)	500	100000
	3. सीधी शहर (वितरक सह परिवहनकर्ता)	1000	200000
	4. मैहर शहर ((वितरक सह परिवहनकर्ता)	200	50000
	5. रीवा-सीधी मार्ग (दुग्ध परिवहनकर्ता)	1000	100000
	6. रीवा-मैहर मार्ग (दुग्ध परिवहनकर्ता)	200	50000



सफल निविदाकार को अंतरिम कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की समय सीमा में वर्णित अनुसार प्रतिभूति राशि (प्रतिदिन विक्रय किये जा रहे दूध के मूल्य के सात गुना के बराबर) दुग्ध संघ में जमा करना होगा। प्रतिभूति राशि जमा किये बगैर कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

- (6) निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश निर्धारित समय में कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर निविदाकार की ई.एम.डी. राजसात कर अंतरिम कार्य आदेश निरस्त कर दिया जाएगा।
- (7) निविदा स्वीकृत होने के उपरांत सफल निविदाकार को मार्ग अनुसार निविदा में चाही गई प्रतिभूतिराशि डीडी के माध्यम से जो कि पेयबल ऐट "जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित" जबलपुर के नाम से देय होगा, दुग्ध संघ में जमा करनी होगी। अमानत राशि का निविदा स्वीकृती उपरांत समायोजन प्रतिभूति राशि से किया जा सकेगा। प्रतिभूतिराशि निर्धारित समय सीमा में जमा न होने की दशा में निविदा निरस्त कर जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। जिसकी संपूर्ण जवाबदेही निविदाकार की होगी।
- (8) निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अमानत राशिराजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही आवेदक का ऐसा आवेदन निरस्त समझा जाएगा।
- (9) निविदा स्वीकृत की स्थिति में सफल निविदाकार को दुग्ध संघ के साथ रु. 1000/- के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध अंतरिम कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की समय सीमा में निष्पादित करना होगा।
- (10) निविदाकार, निविदा प्रपत्र में दरें अंग्रेजी के अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करें। दरों में किसी प्रकार की ओवर राईटिंग/काटपीट न करें। यदि अंको एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता पाई जाती है तो शब्दों में प्रस्तुत दरों को मान्य किया जाएगा।
- (11) आवश्यकता प्रतिपादित होने पर केवल न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से ही नेगोशिएशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा।
- (12) किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ का होगा।
- (13) निविदाकार के पास निविदा में प्रत्येक मार्ग की निविदा में मांगे गये अनुसार यदि वाहन उपलब्ध हो तो उसे (निविदाकार) निविदा के साथ वाहन के संपूर्ण दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा दस्तावेज संलग्न न होने की दशा में परिशिष्ट 08 अनुसार शपथ पत्र संलग्न न होने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
- (14) निविदाकार को वितरक मार्जिन 50 पैसे (पचास पैसे) प्रति ली. वर्तमान प्रचलित नीति अनुसार रहेगा। निविदाकार द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की राशि में से केवल वितरक मार्जिन काटकर शेष राशि दुग्ध संघ के खाते में NEFT/RTGS किया जावेगा। उक्त के साथ ही परिवहन मार्जिन की राशि का देयक प्रतिमाह दुग्ध संघ को प्रस्तुत करेगा, जिसका भुगतान दुग्ध संघ द्वारा किया जावेगा। देयक पर यदि

TDS/GST इत्यादि लगता है तो उसक वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा, जो दुग्ध संघ द्वारा काटा जावेगा।

- (15) निविदाकार द्वारा नियुक्ति उपरांत कार्य संतोषजनक ना पाये जाने पर या आदेश के उल्लंघन या लापरवाही या चोरी करते पाये जाने पर चोरी किये जाने वारी राशि 50 गुना अर्थदण्ड एवं तीन बार चोरी में संलिप्त पाये जाने पर पृथक किये जाने व विधि अनुसार कार्यवाही करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।
- (16) निविदा स्वीकृति के उपरांत वितरक सह-परिवहनकर्ता की कार्य अवधि तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह-परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं स्वीकृत दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकेगी। दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह-परिवहनकर्ता का कार्य उक्त अवधि में संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।
- (17) अनुबंध अवधि में वितरक सह-परिवहनकर्ता को आवंटित वितरण मार्ग पर निविदा के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत वाहन की क्षमता से अधिक दूध की मांग होने की दशा में वितरक सह-परिवहनकर्ता को जबलपुर दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार उपयुक्त क्षमता के अतिरिक्त इन्सुलेटेड वाहन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगी। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह-परिवहनकर्ता को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (18) निविदा की निर्धारित सभी औपचारिकताएं समय सीमा में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर अंतरिम कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।
- (19) कोई भी ऐसी संस्था या व्यक्ति निविदा प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होंगे जिनको पूर्व में शासकीय/अशासकीय संस्था द्वारा किसी भी कार्य से ब्लैक लिस्ट नहीं किया है, इस बाबद रु. 100 के नोटराइज्ड स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र परिशिष्ट क. 5 में भरकर देना होगा।
- (20) जबलपुर दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उनके परिवार के सदस्य इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे। इस बाबद भी निविदाकर्ता को निविदा के साथ आगामी पृष्ठ पर संलग्न शपथ पत्र परिशिष्ट क. 05 में भरकर देना होगा, जिसको संबंधित विभाग द्वारा सत्यापित करवाये जाने के पश्चात् ही कार्य आदेश दिया जाएगा। यदि निविदाकार द्वारा दिया गया शपथ पत्र किसी भी समय गलत पाया जाता है एवं निविदाकार अपात्र अथवा उनसे संबंधित पाये जाते हैं तो कार्य आवंटन पश्चात भी प्रस्तुत निविदा एवं आवंटित कार्य निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी तथा ऐसे निविदाकार का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जायेगा।
- (21) निविदाकार को विधिसम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना होगा।
- (22) वितरक सह-परिवहनकर्ता को निविदा स्वीकृत होने के उपरांत कार्य आवंटित होने की स्थिति में आवंटित मार्ग में स्वयं का साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के उचित भण्डारण एवं विक्रय हेतु एक एक्सकलूजिव आउटलेट खोलना अनिवार्य होगा। इस हेतु मांग अनुसार दुग्ध उत्पाद वितरक दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिससे की उक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं को साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सुगमता से उपलब्ध हो सके।

- (23) निविदाकार यदि वर्तमान में वितरक सह-परिवहनकर्ता/वितरक/परिवहनकर्ता के रूप कार्यरत है तथा उनकी निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु जारी किये जाने वाले पत्र से पूर्व यदि किसी भी मद में दुग्ध संघ की लेनदारी बकाया है तो ऐसे निविदाकार को संपूर्ण लेनदारियां संघ में निर्धारित की गई समय सीमा में जमा करने के उपरांत ही औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु पत्र जारी किया जाएगा। निर्धारित समय सीमा में लेनदारी बकाया दुग्ध संघ में जमा न कराये जाने की स्थिति में निविदाकार की निविदा अमान्य करने व विधि अनुसार कार्यवाही करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ का होगा।
- (24) निविदाकार को यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि निविदा प्रपत्र निविदा के माध्यम से (ऑफ लाईन) आमंत्रित किये जा रहे हैं। अतः निविदाकार, निविदा प्रपत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरांत ही निविदा प्रपत्र भरें एवं निविदा में मांगे गये मार्ग संबंधित समस्त वांछित दस्तावेजों तथा ई.एम.डी. राशि डी.डी. या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर निविदा भरें।
- (25) निविदाकार को निविदा प्रपत्र एमपीसीडीएफ की वेबसाइट से डाउनलोड कर, निविदा प्रपत्र कय मूल्य राशि रु. 1000/-डी.डी. या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान कर जमा करना होगी। निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (26) पूर्व में संघ वितरण कार्य में संलग्न हैं तो उन्हें पूर्ण राशि भुगतान एवं केन-क्रेट का अदेय प्रमाण पत्र नवीन कार्य आरंभ करने से पूर्व अनिवार्य रूप से देय होगा।
- (27) डेयरी संयंत्र, .....से संबंधित मार्गों की जानकारी परिशिष्ट क्रमांक 11 पर संलग्न है। निविदाकार जिस मार्ग हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं, का अध्ययन उपरांत ही निविदा भरें।
- (28) निविदा में उल्लेखित दस्तावेजों/लाइसेंस आदि के अतिरिक्त भविष्य में यदि शासन द्वारा जी.एस.टी. अथवा अन्य दस्तावेज/लाइसेंस/कानून प्रभावशाली किये जाते हैं तो ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराने होंगे/पूर्ण रूपेण पालन करना होगा।

मेरे द्वारा साँची दूध वितरक सह-परिवहनकर्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/है। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्रमांक 01 से 28 एवं अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करता हूँ एवं मेरी अमानत राशि राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता/देती हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

## वित्तीय बिड

क्र.	मार्ग का नाम	परिवहन दरें (अंको में) रू./लीटर	परिवहन दरें (शब्दों में) रू./लीटर
1.	रीवा शहर (जोन क. 02)		
2.	रीवा शहर (जोन क. 04)		
3.	सीधी शहर स्थानीय		
4.	मैहर शहर स्थानीय		
5.	रीवा-सीधी मार्ग (दुग्ध परिवहनकर्ता)		
6.	रीवा-मैहर मार्ग (दुग्ध परिवहनकर्ता)		

नोट:—निविदाकार को परिवहन दर प्रस्तुत करते समय यह ध्यान रखना होगा कि अंग्रेजी के अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट वर्णित करनी होगी। दरों में किसी प्रकार की ओवर राईटिंग/काटपीट न करें। यदि अंको एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता पाई जाती है तो शब्दों में प्रस्तुत दरों को मान्य किया जाएगा।

## निविदाकार का परिचय

स्वयं का  
स्वहस्ताक्षरित  
पासपोर्ट  
साईज फोटो  
लगावें।

1. आवेदक का नाम .....
2. पिता का नाम .....
3. स्थाई/वर्तमान पता .....
- .....(दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें)
4. प्रस्तावित मार्ग का नाम .....
5. दूरभाष/मोबाईल नं. ....
6. ई-मेल (अनिवार्य) .....
7. वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य हेतु प्रस्तावित मार्ग का नाम .....
8. शैक्षणिक योग्यता .....
9. आवेदक/फर्म का नाम/यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। .....
- .....
10. वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कार्य का विवरण अंकित करें) .....
- .....
11. (अ) पेन नम्बर .....
- (ब) FSSAI - .....
- (स) GSTIN नम्बर .....
- (द) गुमास्ता (Shop Act.) .....
- ई.एम.डी.राशि का विवरण .....
- (समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें।)

मेरे द्वारा साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थवितरक सह परिवहनकर्ता कार्यसंबंधी इस फार्म के साथ संलग्न समस्त शर्तें पढ़ और समझ चुका/चुकी हूँ और मान्य करता/करती हूँ। इस हेतु मेरे द्वारा शर्तें हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर  
नाम

शपथ-पत्र रू. (रू. 100/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर)

मैं.....निवासी.....जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत .....(मार्ग का नाम) से संबंधित प्रस्तावित मार्ग में दूध एवं दुग्ध उत्पादों के वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मुझे किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था से ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है एवं जबलपुर दुग्ध संघ के किसी अधिकारी/कर्मचारी संबंध नहीं है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम-----

पता-----  
-----  
-----

हस्ताक्षर-----

शपथ-पत्र रू. (रू. 100/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर)

मैं..... निवासी.....जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत .....(मार्ग का नाम) से संबंधित प्रस्तावित मार्ग में दूध एवं दुग्ध उत्पादों के वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा मेरी बैंक चैक बुक (क.....से .....तक) जो कि मेरे स्वयं के बैंक खाते.....(बैंक का नाम) खाता क्र. ....की है, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ को उपलब्ध करा रहा हूँ। जिसका उपयोग भविष्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के लंबित भुगतान हेतु जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा किया जा सकता है। उक्त के लिये मैं स्वेच्छा से अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम-----

पता-----

-----  
-----

हस्ताक्षर-----

## साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थवितरक सह-परिवहनकर्ता अनुबंध प्रारूप

यह अनुबंध आज दिनांक..... को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, जबलपुर, जिसे आगे दुग्ध संघ के नाम से संबोधित किया जावेगा।

एवं मेसर्स ..... द्वारा पार्टनर श्री ..... से बतौर दूध एवं दुग्ध पदार्थ के वितरक सह-परिवहनकर्ता की हैसियत से दुग्ध संघ द्वारा मार्ग ..... के लिए दिनांक..... से दिनांक ..... तक अंशधिता वास्ते अनुबंधित कर हस्ताक्षरित किया गया है। इन्हें आगे बतौर वितरक सह-परिवहनकर्ता नाम से संबोधित किया जावेगा। इस अनुबंध के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दुग्ध संघ व वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य संपादित करेंगे।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत वितरक सह-परिवहनकर्ता को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। वितरक सह-परिवहनकर्ता इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस वितरक सह-परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।
2. वितरक सह-परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ में प्रतिभूति निविदा में मांगे गये मार्ग अनुसार दुग्ध संघ कार्यालय में निर्धारित समय सीमा में जमा करनी होगी। निर्धारित प्रतिभूति राशि बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में प्रारूप कार्य आदेश के साथ दिया जावेगा। दुग्ध संघ में जमा की गई प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. वितरक सह-परिवहनकर्ता द्वारा संघ में जमा की गई प्रतिभूति राशि वितरकशिप अवधि पूर्ण होने पर तथा संघ को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद वापस करने की कार्यवाही की जाएगी।
4. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार द्वारा चाही गई प्रतिभूति राशि समय अवधि में जमा कराना अनिवार्य होगा जिसकी विवरण सारणी निम्न है :-

क्र.	मार्ग का विवरण	औसत विक्रय मात्रा ली./दिन (लक्ष्य)	प्रतिभूति राशि रूपये (सात दिवस के विक्रय के बराबर)

सफल निविदाकार को अंतरिम कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की समय सीमा में वर्णित अनुसार प्रतिभूति राशि (प्रतिदिन विक्रय किये जा रहे दूध के मूल्य के सात गुना के बराबर) दुग्ध संघ में जमा करना होगा बगैर प्रतिभूति राशि जमा किये कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं दी जावेगी। प्रतिभूति राशि का पुनरीक्षण प्रत्येक 03 माह बाद किया जावेगा अर्थात् 03 माह बाद उस मार्ग पर जितनी दूध की विक्रय मात्रा होगी, उसकी कीमत का सात दिन के विक्रय राशि के समतुल्य प्रतिभूति राशि जमा करना आवश्यक होगा। इसके साथ ही अगर पूर्व से वितरक हैं तो नो ड्यूज प्रदान करना होगा।

5. निविदाकार द्वारा नियुक्ति उपरांत कार्य संतुष्ट न पाये जाने पर या आदेश के उल्लंघन या लापरवाही करने पर एक नोटिस भेजकर पृथक किये जाने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।
6. वितरक सह-परिवहनकर्ता, ..... मार्ग पर स्थित साँची दूध निर्धारित विक्रय केन्द्रों, पर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समयावधि में पहुंचाना सुनिश्चित करेगा। वितरण सुविधा हेतु मार्ग के विक्रय केन्द्रों की संख्या में कमी अथवा बढ़ोत्तरी करने एवं विक्रय केन्द्रों को किसी भी मार्ग से अन्य मार्ग पर दूध प्राप्त करने हेतु अधिकृत करने का अधिकार दुग्ध संघ के पास होगा, जो वितरक सह-परिवहनकर्ता को मान्य करना बंधनकारी होगा।
7. वितरक सह-परिवहनकर्ता दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित वितरक मूल्य पर डेरी संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र से मांग अनुसार विपणन हेतु प्राप्त करेगा, किन्तु कतिपय कारणों से दुग्ध वाहन विलंब होने की दशा में



- यदि दुग्ध संघ वितरक की मांग अनुसार उसे साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह का हर्जाना आदि नहीं दिया जाएगा।
8. वितरक सह-परिवहनकर्ता को वितरण स्थल से प्राप्त किये गये साँची दूध का वितरण कार्य सिर्फ इन्सुलेटेड वाहन जिसकी भार क्षमता व वर्ष निविदा प्रपत्र में परिशष्ट 11 में उल्लेख अनुसार ही करना अनिवार्य होगा।
  9. वितरक सह-परिवहनकर्ता, दुग्ध विक्रय एजेन्टों को दूध की मांग अनुसार पूर्ण रूप से प्रदाय की व्यवस्था करेगा। एजेंटों की मांग, वितरक या उनके अधीनस्थ कार्य कर रहें कर्मचारी अपनी मर्जी से न घटाएंगे/न बढ़ायेगें।
  10. वितरक सह-परिवहनकर्ता निर्धारित रिटेलर दर पर ही दुग्ध विक्रय एजेन्ट को दूध देगा। यदि ऐसा पाया जाता है कि वितरक दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय एजेन्टों से वसूली कर रहा है, तो दुग्ध संघ वितरक पर पेनल्टी लगा सकेगा एवं इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति की स्थिति में वितरक सह-परिवहनकर्ता का कार्य समाप्त कर सकेगा व काली सूची में डाला जावेगा।
  11. वितरक सह-परिवहनकर्ता की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में संघ उसके मान्य उत्तराधिकारी को उस स्थिति में नियुक्त कर सकता है, यदि वह उत्तराधिकारी संघ के निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता है। **उत्तराधिकारी का नाम अनुबंध पत्र के निष्पादन के समय प्रदान किया जाना आवश्यक है।**
  12. दुग्ध संघ वितरण स्थल पर दूध क्रेट के माध्यम से देगा। जिसे निर्धारित समय में वितरक सह परिवहनकर्ता को उठाना होगा। संयंत्र के वितरण स्थल पर वितरक छांट कर दूध का पैकेट लेगा एवं विक्रय एजेन्टों को अच्छे पैकेट देगा। दुग्ध वितरण के पश्चात् गुणवत्ता खराब होने की स्थिति में ही परीक्षण उपरांत विपणन विभाग की लिखित अनुमति उपरांत ही रिटर्न दूध के पैकेट वापिस लिये जा सकेंगे।
  13. वितरक सह-परिवहनकर्ता को वाहन में वाहन चालक के अतिरिक्त एक लेबर लोडिंग/अनलोडिंग हेतु आवश्यक रूप से रखना होगा।
  14. वितरक सह-परिवहनकर्ता को वाहन चालक एवं लेबर का नाम व पता संघ को लिखित में सूचित करना होगा एवं इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना आवश्यक होगा।
  15. वितरक सह-परिवहनकर्ता को उसके वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, जो कि उनके द्वारा सत्यापित होगा, जिसे वाहन चालक एवं वाहन सहायक को वितरण के दौरान गले में लटकाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र का व्यय वितरक सह-परिवहनकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा। इसकी चैकिंग दुग्ध संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर की जाएगी।
  16. वितरण वाहन में कार्यरत कर्मचारी एवं एजेंटों के बीच उठे विवादों को वितरक सह-परिवहनकर्ता अपनी उपस्थिति में शांतिपूर्वक सुलझावेगा ताकि विवाद न बढ़ने पाये एवं दूध वितरण कार्य में किसी प्रकार की रूकावट न आने दें। साथ ही ई.पी.एफ./ई.एस.आई./बीमा/लेबर लॉ नियमों का पालन करना परिवहनकर्ता के लिए अनिवार्य होगा।
  17. वितरक सह-परिवहनकर्ता दुग्ध संघ से प्राप्त क्रेट्स/केन्स आदि का पूर्ण लेखा-जोखा रखेगा। ऐसा न करने पर दुग्ध संघ के पास वितरक सह-परिवहनकर्ता से क्रेट्स/केन्स की राशि रु.100/- प्रति क्रेट पेनल्टी एवं क्रेट/केन का मूल्य वसूल करेगा। खाली क्रेट्स /केन्स सुबह 11:00 बजे तक एवं शाम को 8:00 बजे तक जमा कराना अनिवार्य होगा।
  18. वितरक सह-परिवहनकर्ता शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्ण/रूपेण जबाबदार होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय-समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण वाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही वितरक के विरुद्ध की जा सकेगी।
  19. वितरक सह-परिवहनकर्ता दुग्ध संघ की सहमति से अपने निर्धारित मार्ग पर विक्रय केन्द्रों की संख्या प्रतिमाह 05 बढ़ानी होगी। दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर वितरक सह परिवहनकर्ता को दिये गये विक्रय लक्ष्यों की पूर्ति करना अनिवार्य है तथा विक्रय केन्द्र आवंटन की प्रक्रिया संघ द्वारा पूर्ण की जाएगी एवं लक्ष्य पूर्ति न होने पर 10 पैसे प्रति लीटर मार्जिन कटौत किया जावेगा।
  20. वितरक सह-परिवहनकर्ता द्वारा आवंटित मार्ग के बूथ/पार्लर/एजेन्सी/अन्य को प्रदाय किये गये दूध की धनराशि का भुगतान वितरक को स्वयं प्राप्त करना होगा। किसी भी बूथ/पार्लर/एजेन्सी अथवा अन्य के किसी भी भुगतान के लिए दुग्ध संघ जिम्मेदार नहीं होगा तथा संघ को देय समस्त प्रकार के भुगतान में विलंब किये जाने प्रति दिवस 18% की दर से ब्याज अतिरिक्त वसूल किया जावेगा।

21. समय समय पर दुग्ध संघ वितरक सह-परिवहनकर्ता को आवंटित मार्ग/क्षेत्र हेतु विक्रय लक्ष्य देगा, जिसकी प्राप्ति सुनिश्चित करना वितरक सह-परिवहनकर्ता के लिए बाध्यता होगी तथा लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पाने पर इस बाबत प्रबंध पक्ष द्वारा लिये गये निर्णयों को मानने हेतु वितरक सह-परिवहनकर्ता बाध्य होगा। निर्धारित अनुसार लक्ष्य पूर्ति न पाये जाने पर एक नोटिस दिया जाकर कार्य आदेश निरस्त किया जावेगा।
22. वितरक सह-परिवहनकर्ता को आवंटित कार्य किसी अन्य वितरक सह-परिवहनकर्ता को हस्तांतरित नहीं करेगा। ऐसा करते पाये जाने पर दुग्ध संघ बिना कोई नोटिस जारी किये, जारी कार्य आदेश निरस्त कर सकेगा, तथा उसकी प्रतिभूति राशिराजसात कर सकेगा।
23. दुग्ध संघ संबंधित मार्ग/क्षेत्र स्थित शासकीय संस्थाओं को उधारी में सांची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक सह-परिवहनकर्ता के माध्यम से प्रदाय करेगा, जिसकी आवश्यक पावती आदि प्राप्त करने की पूर्ण जवाबदारी वितरक सह-परिवहनकर्ता की होगी। उक्त पावती दुग्ध संघ द्वारा मागे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, व संस्थाओं में प्रदाय पेटे का परिवहन देयक अनुमोदित परिवहन दर पर प्रस्तुत किये जाने पर दुग्ध संघ भुगतान करेगा। कम प्रदाय की राशि परिवहन देयक से काटी जावेगी।
24. वितरक सह-परिवहनकर्ता प्रतिमाह आवश्यकतानुसार मार्ग के समस्त विक्रय केन्द्र के प्रभारियों को 10 तारीख तक उनको विपणित की गई दुग्ध की मात्रा, राशि आदि का लेखा-जोखा उपलब्ध करवायेगा। तथा इसकी एक प्रतिलिपि दुग्ध संघ को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएगा।
25. समय-समय पर दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह-परिवहनकर्ता को दुग्ध विक्रय प्रोत्साहन हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु वितरक सह-परिवहनकर्ता बाध्य होगा एवं यदि दुग्ध संघ यह पाता है कि वितरक सह-परिवहनकर्ता विक्रय प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रयास नहीं कर रहा है या उसे दिये समय-समय पर दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, जो विक्रय प्रोत्साहन कार्य के लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ अपने व्यावसायिक हितों को सर्वोपरि रखते हुये कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें कार्य आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही एक नोटिस मात्र देकर की जावेगी।
26. वितरक सह-परिवहनकर्ता विपणन कार्य हेतु वितरक सह-परिवहनकर्ता का इन्स्यूलेटेड वाहन स्वयं के नाम से पंजीकृत होना अनिवार्य है।
27. वितरक सह-परिवहनकर्ता को वितरण कार्य आरंभ करने से पूर्व संघ कार्यालय को वाहन के पंजीकरण से सम्बंधित समस्त दस्तावेज का निरीक्षण संघ की गठित समिति को कराना आवश्यक होगा तथा इन दस्तावेजों की एक छायाप्रति संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। वाहन कार्य पर लगाने से पूर्व उसका भौतिक सत्यापन संघ द्वारा गठित समिति से निर्धारित समय सीमा में कराना होगा।
28. वितरक सह-परिवहनकर्ता की संघ में निर्धारित वितरण कार्य हेतु अवधि में वितरक सह-परिवहनकर्ता द्वारा वाहन पंजीकरण से सम्बंधित दस्तावेजों में परिवर्तन बिना संघ की अनुमति के नहीं किया जावेगा। यदि किसी कारणवश वितरक सह-परिवहनकर्ता संघ से अनुबंधित वाहन विक्रय करता है या उसे बदलना चाहता है, तो इस हेतु संघ की अनुमति लेना आवश्यक है, तथा वाहन के विक्रय/बदलने के पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना वितरक सह-परिवहनकर्ता का दायित्व होगा साथ ही वाहन का एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
29. संघ द्वारा वितरक सह-परिवहनकर्ता के मार्ग पर निर्धारित किये गये दुग्ध विक्रय केन्द्रों पर वितरक सह-परिवहनकर्ता द्वारा नियमित रूप से दूध प्रदाय किया जावेगा, यदि किसी कारणवश वितरक सह-परिवहनकर्ता किसी दुग्ध वितरण केन्द्र पर दूध प्रदाय बंद करने हेतु बाध्य होता है, तो उसे सम्पूर्ण प्रकरण लिखित में संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा संघ के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त होने पर ही दुग्ध प्रदाय संबंधित दुग्ध विक्रय केन्द्रों पर बंद कर सकेगा। यदि वितरक सह-परिवहनकर्ता द्वारा बिना संघ की अनुमति के किसी दुग्ध विक्रय केन्द्र पर दुग्ध प्रदाय बंद किया जाता है तो संघ को हुई हानि के बराबर राशि वसूलकी जावेगी।
30. वितरक सह-परिवहनकर्ता को अपने मार्ग के समस्त दुग्ध विक्रय केन्द्रों एवं शासकीय संस्थाओं आदि से आगामी मांग हेतु निर्धारित चालान संघ में नियमित रूप से जमा करने होंगे। किसी कारणवश चालान संघ में जमा न होने पर राशि रु. 50/- प्रति चालान प्रतिदिन वितरक से दण्ड स्वरूप वसूली योग्य होगी।
31. यह कि वितरक सह-परिवहनकर्ता अपने वाहन से दूध व दूध के पैकेट्स एवं क्रेट/केन भरकर उतनी मात्रा में ले जावेंगे जितनी कि शीट एवं चालान में दर्शाई गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध वाहन में पाया जाता है तो अधिक दूध/दूध पैकेट पाये जाने पर दूध की कीमत का 50 गुना राशि का अर्धदण्ड वितरक सह-परिवहनकर्ता से वसूल किया जावेगा एवं वाहन लोडर को हटाया जाएगा। दैनिक

- दुग्ध विक्रय राशि के अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित या अन्य कोई भी वसूली वितरक से संघ में जमा चेक बुक/प्रतिभूति राशि के माध्यम से करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।
32. अनुबंधित अवधि में वर्तमान में निर्धारित मार्गों के दुग्ध विक्रय के संबंध में आवश्यकता अनुसार संशोधन कर नये मार्ग बनाने का अधिकार संघ को होगा। अतः इस प्रक्रिया के अंतर्गत वितरकों के मार्गों के वर्तमान दुग्ध विक्रय केन्द्रों को नये मार्ग में सम्मिलित किया जा सकेगा।
33. वितरक सह-परिवहनकर्ता को शासन द्वारा जारी फूड लायसेंस,जी.एस.टी. एवं अन्य वैधानिक दस्तावेज लेना अनिवार्य है जिसकी छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
34. दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह-परिवहनकर्ता को प्रदाय किये गये दूध की समस्त धनराशि आर.टी.जी. एस/एन.ई.एफ.टी के माध्यम से प्रतिदिन जमा किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में दूध एवं दुग्ध उत्पाद राशि लंबित होने पर 18% की दर से ब्याज अधिरोपित किया जायेगा, जो कि वितरक पर बंधनकारी होगा तथा संघ में रेखांकित (दुग्ध संघ के हित में) धनादेश देगा। अपरिहार्य स्थिति में भुगतान राशि धनादेश लगाकर भुगतान प्राप्त किया जायेगा। इस हेतु वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा स्वयं की हस्ताक्षरित चैक बुक उपलब्ध करानी होगी, जिस पर चैकों पर दिनांक उल्लेखित नहीं होगी एवं साथ ही वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा रू 100/-के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जो परिशिष्ट क्रमांक 07 के अनुसार होगा। एमपीसीडीएफ के नियमानुसार वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा धनादेश अनादरित होने की स्थिति में वितरक/वितरक सह परिवहनकर्ता पर नियमानुसार न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी।
35. वितरक सह-परिवहनकर्ता अथवा उसके कार्यरत स्टाँफ के कारण दुग्ध वितरण बाधित होता है तो संघ को हुए नुकसान की सम्पूर्ण भरपाई संबंधित वितरक सह-परिवहनकर्ता से की जावेगी।
36. वितरक सह-परिवहनकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा संघ के कर्मचारियों/अधिकारियों/संचालकों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर संघ द्वारा निर्देशित कार्यवाही वितरक सह-परिवहनकर्ता को करनी होगी। आदेशों का पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।
37. दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर दिये गये लिखित/मौखिक निर्देशों/आदेशों एवं सूचनाएँ अनुबंध का ही भाग होंगी, का वितरक सह-परिवहनकर्ता द्वारा पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।
38. अनुबंध अवधि में वितरक सह-परिवहनकर्ता को आवंटित वितरण मार्ग पर निविदा के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत वाहन की क्षमता से अधिक दूध की मांग होने पर संबंधित वितरक सह-परिवहनकर्ता को जबलपुर दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार उपयुक्त क्षमता के अतिरिक्त इन्सुलेटेड वाहन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगी। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा स्वीकृत अनुबंधित दर ही मान्य की जाएंगी। स्वीकृत अनुबंधित दरों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान दुग्ध संघ द्वारा नहीं किया जायेगा।
39. दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर जो भी निर्देश वितरकों को पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से दिये जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र इस अनुबंध का भाग माने जाएंगे।
40. यह कि मार्ग..... पर श्री/मेसर्स ..... वितरक सह-परिवहनकर्ता के रूप में परिवहन दर रुपये..... पैसे प्रति ली. पर कार्य करेंगे।
41. वितरक सह-परिवहनकर्ता को आवंटित मार्ग में स्वयं का साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के उचित भण्डारण एवं विक्रय हेतु एक एकसक्लूसिव आउटलेट खोलना अनिवार्य होगा। इस हेतु मांग अनुसार दुग्ध उत्पाद वितरक दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिससे की उक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं को साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सुगमता से उपलब्ध हो सके।
42. यह अनुबंध दो वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगा। दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह-परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
43. डेयरी परिसर के अंदर वितरक सह-परिवहनकर्ता के अधीन कार्यरत वाहन चालक द्वारा धूम्रपान, तम्बाखू, शराब आदि का सेवन एवं उंची आवाज में गाने गाना बजाना आदि नहीं किया जावेगा वितरण

वाहन पर कार्यरत स्टॉफ द्वारा मांग पत्र/प्रदाय विवरण के कागज को फाड़कर संयंत्र में फेंक दिया जाता है इसके कारण संघ परिसर में अनावश्यक गंदगी उत्पन्न होती है। अतः वेस्टेज सामग्री निर्धारित स्थान पर ही डस्टबिन में डाली जायें साथ ही वाहन चालक द्वारा डेयरी परिसर में वाहन की रफ्तार अधिकतम 20 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जावेगी।

44. यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ तो, उसे मध्यस्थता (Arbitration) के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु (Arbitrator) प्राधिकृत अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ, जबलपुर अथवा Arbitration and conciliation act 1996 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जावेगा, जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
45. अनुबंध की कंडिका 01 से 46 तक वर्णित नियम व शर्तों का किसी भी समय उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में एक नोटिस दिया जाकर कार्य आदेश निरस्त करने, जमा प्रतिभूति राशि राजसात करने तथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ को होगा। द्वितीय पक्ष को अनुबंध की कंडिका 01 से 46 तक का पालन करना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी एक या एक से अधिक कंडिकाओं का उल्लंघन पाये जाने पर जारी कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। इस बावत् मात्र एक नोटिस दिया जाकर कार्यवाही की जा सकेगी।
46. इस अनुबंध का न्यायाधिकार क्षेत्र जबलपुर शहर का न्यायालय में रहेगा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तों के अधीन दुग्ध संघ एवं वितरक सह-परिवहनकर्ता के मध्य दिनांक..... को निष्पादित किया गया है।

मैं ..... पिता/पति/पत्नी..... वितरक सह-परिवहनकर्ता मार्ग क्रमांक ..... अपना उत्तराधिकारी, (नॉमिनी) श्री/श्रीमति..... को घोषित करता/ करती हूँ।

वितरक सह-परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर .....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

नाम.....

जबलपुर सह.दुग्ध संघ मर्या.

पता.....

1. गवाह के हस्ताक्षर .....

नाम एवं पता:-.....

जबलपुर सह.दुग्ध संघ मर्या.

प्रभारी (विपणन)

2. गवाह के हस्ताक्षर .....

नाम एवं पता:-.....

## जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

क्र.	मार्ग का नाम	वाहन क्षमता	मार्ग की दूरी	औसत दुग्ध विक्रय (प्रतिदिन)	सुरक्षा निधि /रु.
जबलपुर दुग्ध संघ के अन्तर्गत रीवा संयंत्र दुग्ध वितरण					
1.	रीवा शहर जोन क्र. 02	टाटा एस या समकक्ष इंस्युलेटेड वाहन क्षमता (0.7 मे. टन)	55	800	200000
2.	रीवा शहर जोन क्र. 04	टाटा एस या समकक्ष इंस्युलेटेड वाहन क्षमता (0.7 मे. टन)	50	500	100000
3.	सीधी शहर स्थानीय	टाटा एस या समकक्ष इंस्युलेटेड वाहन क्षमता (0.7 मे. टन)	20	1000	200000
4.	मैहर शहर स्थानीय	टाटा एस या समकक्ष इंस्युलेटेड वाहन क्षमता (0.7 मे. टन)	20	200	50000
5.	रीवा-सीधी मार्ग दुग्ध परिवहनकर्ता	महिन्द्रा पिकअप या समकक्ष इंस्युलेटेड वाहन क्षमता (1.4 मे. टन)	160	1000	200000
6.	रीवा-मैहर मार्ग दुग्ध परिवहनकर्ता	टाटा एस या समकक्ष इंस्युलेटेड वाहन क्षमता (0.7 मे. टन)	130	500	100000